

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

1808
21.6.17

संकल्प

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विकास हेतु गठित विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle), Prejha Foundation के संचालन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक युवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विकास हेतु सरकार के संकल्प ज्ञापांक – 04/भो०प्रशि० – 10/2013 – 1988, दिनांक – 01.07.2015 द्वारा "विशेष प्रायोजन वाहन" (Special Purpose Vehicle) का गठन किया गया है जिसे Non Profit Section 25 Company PAN IIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) के नाम से निबंधित किया गया है। PREJHA Foundation द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक युवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं विकास के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जिलों में कल्याण गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है जिसके लिये आवश्यक आधारभूत संरचना के तहत कल्याण विभाग के पूर्व के अप्रयुक्त भवनों को उपलब्ध कराया जा रहा है और उक्त को Design, Buy, Own, Operate एवं Maintain (DBOOM) basis पर संचालन एवं वित्त पोषण हेतु निम्न निर्णय लिए गये हैं :-

1) Design एवं Buy के तहत परिसंपत्तियों का क्रय :

i) PREJHA Foundation द्वारा गुरुकुल के लिये उपलब्ध कराई गई आधारभूत संरचना के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं को design एवं Layout किया जायेगा एवं प्रशिक्षण के लिये आवश्यक सभी प्रकार के Capital Expenditure, यथा प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपकरण एवं सामग्री, वर्दी, जूते, स्मार्ट क्लासरूम, आडियो-विजुअल सामग्री, पावर बैकअप, CCTV, कम्प्यूटर एवं अन्य IT उपकरण, प्रशिक्षणार्थियों के भोजन एवं आवासन हेतु आवश्यक सामग्री तथा गैर संरचनात्मक सुधार इत्यादि को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय/व्यय किया जायेगा। PREJHA Foundation द्वारा सभी संपत्तियों का रजिस्टर, विपत्र, इत्यादि सुरक्षित रखा जायेगा। वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप पूंजीगत व्यय

की राशि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं PREJHA Foundation बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात कल्याण विभाग द्वारा PREJHA Foundation को दो किस्तों में देय होगा।

ii) वर्तमान लागत के अनुसार प्रत्येक छात्रावास के लिए औसतन 50 लाख रुपये का पूँजीगत अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है। इस छात्रावास में न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा 100 से अधिक क्षमता वाले प्रशिक्षण केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार अनुपातिक सिद्धान्त पर अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान दिया जायेगा। प्रत्येक छात्रावास में प्रति वर्ष 3-4 प्रशिक्षण सत्र अनिवार्य रूप से चलाये जायेंगे। पूँजीगत लागत को अगले सात वर्षों तक Straight Line Method के आधार पर amortise किया जायेगा।

2) गुरुकुल को Own, Operate एवं Maintain करना :

i) PREJHA Foundation द्वारा संचालित प्रत्येक गुरुकुल में कौशल प्रशिक्षण हेतु चिन्हित ट्रेड के अनुरूप प्रति छात्र आने वाली वार्षिक लागत के आधार पर PREJHA Foundation द्वारा कल्याण विभाग से राशि की मांग की जायेगी। कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी Skilling Common Expenditure Norms के आधार पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु राशि निर्गत की जायेगी।

ii) PREJHA Foundation द्वारा प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर में अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना समर्पित की जायेगी तथा विभाग से अनुमोदनोपरांत इसके आधार पर प्रति वर्ष माह जून एवं दिसम्बर में पूँजीगत अनुदान एवं संचालन अनुदान (Operational Grant) की मांग की जायेगी। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। PREJHA Foundation द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से कौशल ऋण/प्रशिक्षणार्थियों के स्वयं की राशि के माध्यम से योगदान प्राप्त किया जाएगा। तदोपरांत PREJHA Foundation के पास कुल अवशेष राशि, यदि कोई हो, से गुरुकुल के क्षमता संवर्धन एवं अन्य कौशल से संबंधित अभिनव परियोजनाओं के लिए corpus निर्माण किया जायेगा जिसका उपयोग PREJHA Foundation बोर्ड की स्वीकृतोपरांत किया जा सकेगा। इस corpus राशि का उपयोग PREJHA Foundation बोर्ड द्वारा स्वीकृत निम्न गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा:—

a) Funding new initiatives, project and other development project to further objects of the foundation and solely for welfare of people of state of Jharkhand.

- b) Operational losses in a particular year.
- c) Working capital requirements as might be needed.
- d) Purchase of any assets as might be required.

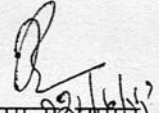
PREJHA Foundation द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अलावा अन्य सरकारी विभाग/मंत्रालय/संस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे विश्व बैंक, JICA, इत्यादि से समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन भी किया जा सकेगा।

- 3) PREJHA Foundation द्वारा गुरुकुल के अलावा विभागान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण, कल्याण विभागीय विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण का भी संचालन किया जायेगा जिसके लिए योजनावार प्रस्ताव का अनुमोदन कल्याण विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जायेगा।
- 4) PREJHA Foundation द्वारा रांची जिला में MSDP योजनान्तर्गत निर्मित पौलिटैक्निक, थड़पखना में महिला कौशल कॉलेज का संचालन किया जाएगा।
- 5) PREJHA Foundation द्वारा रांची जिला में MSDP योजनान्तर्गत निर्मित नर्सिंग अस्पताल, चान्हो में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए ANM/Paramedics Course तथा Community/Rural हेल्थ वर्कर्स के Upskilling प्रशिक्षण हेतु कौशल कॉलेज का संचालन किया जायेगा। कॉलेज के संचालन हेतु इन्डियन नर्सिंग काउन्सिल एवं झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से मान्यता प्राप्त की जायेगी एवं प्रशिक्षणार्थियों को निकटतम अस्पताल के साथ टैगिंग किया जायेगा।
- 6) PREJHA Foundation को Design, Build, Own, Operate एवं Maintain के तहत गुरुकुल संचालन हेतु राशि राष्ट्रीयकृत बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 7) PREJHA Foundation को प्राप्त संपूर्ण राशि को Board of Directors के दिशानिर्देशों के तहत व्यय किया जायेगा एवं व्यय विवरणी को Board of Directors के समक्ष प्रस्तुत भी किया जायेगा।
- 8) PREJHA Foundation द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा गुरुकुल हेतु प्रस्तावित पूँजीगत व्यय (सात वर्षों में amortised) एवं संचालन व्यय मद में याचित राशि उनके

बोर्ड द्वारा पारित है एवं दोनों मदों में याचित राशि का योग (प्रति छात्र) किसी भी परिस्थिति में Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर परिचारित Skilling Common Expenditure Norms से ज्यादा नहीं हो।

9) PREJHA Foundation द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की विवरणी एवं उनके नियोजन का अर्द्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक छः माह पर आदिवासी कल्याण आयुक्त को समर्पित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के नियोजन हेतु आवश्यक Certification, Tracking, इत्यादि Common Norms के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

10) मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 13.06.2017 को संपन्न बैठक में मद संख्या - 12 के रूप में इस पर स्वीकृत प्रदत्त है।

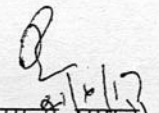

(हिमानी पाण्डे)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/भो०प्रशि० - 10/2013 1808

रांची, दिनांक 21.6.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, रांची को सूचना हेतु प्रेषित।


(हिमानी पाण्डे)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/भो०प्रशि० - 10/2013 1808

रांची, दिनांक 21.6.17

प्रतिलिपि :- हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन एवं विभाग को 250 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु प्रेषित।

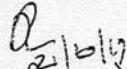

(हिमानी पाण्डे)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/भो०प्रशि० - 10/2013 1808

रांची, दिनांक 21.6.17

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, समन्वयिक जनजातीय विकास अभिकरण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सांख्यिकी कोषांग, कल्याण विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कल्याण विभाग/बजट शाखा, कल्याण विभाग को सूचना हेतु प्रेषित।


(हिमानी पाण्डे)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 4/भो०प्रशि० - 10/2013 1808

रांची, दिनांक 21.6.17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचना हेतु प्रेषित।


(हिमानी पाण्डे)

सरकार के सचिव।